न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मलसीसर जिला झुंझुनूं (राज0)
पीठासीन अधिकारी : पंकज शर्मा
(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 7/2025
GCMS No. 2025/66

1. समीर पुत्र मो0 हारून जाति गुर्जर मुसलमान निवासी वार्ड न0 12, अकबर शाह रोड़, चूरू तहसील व जिला चूरू।

आवेदक

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलसीसर जिला झुन्झुनू।

अनावेदक

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

वकील प्रार्थी – रजिया बानो
वकील अप्रार्थी –

निर्णय

दिनांक 06.08.2025

संक्षेप मे आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम मलसीसर पटवार हल्का मलसीसर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 836 रकबा 2.53 है0 भूमि अवस्थित है जो आवेदक की खातेदारी काश्तकारी की भूमि है। जिस पर आवेदक काबिज काश्त है। इसी प्रकार ख0न0 788 किस्म बंजड़ भूमि अवस्थित है। प्रार्थी ख0न0 786 गै0मु0 सड़क से ख0न0 788 में से ए से बी होते हुये अपने खेत ख0न0 836 में आता जाता रहा है। आवेदक के पास अपने खेत में आने जाने के लिये अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। इसलिये आवेदक को अपने खेत में आने जाने के लिये नजरीनक्शे में दर्शित बिन्दू ए से बी प्रचलित रास्ता 30 फुट चौड़ा राजस्व रिकार्ड में लाल स्याही से अंकित कर कटानी दर्ज कर दिलवाया जावे। आवेदक उक्त रास्ते में आने वाली भूमि के बदले डीएलसी की दुगुनी राशि का भुगतान करने को तैयार है। अन्त में आवेदक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को अपने खेत ख0न0 836 में आने जाने के लिये ख0न0 786 गै0मु0 सड़क से ख0न0 788 बंजड़ में से सलंग्न नजरी नक्शे में दर्शित मार्क ए से बी 30 फुट कटानी दर्ज करने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार मलसीसर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क के प्रावधानों के तहत मौका जांच कर रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार मलसीसर ने अपने पत्रांक 1452 दिनांक 18.07.2025 से अपनी जांच रिपोर्ट पेश की। तहसीलदार से प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार जमीन जैर बहस में पहुंच के लिए अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है। आवेदक द्वारा चाहा गया मार्ग लघुतम है तथा रास्ता दिया जाना उचित बताया है।

जवाब देही पूर्ण होने पर बहस विद्वान अधिवक्ता आवेदक सुनी गई। दौराने बहस 788 में से 30 फीट चौड़ा रास्ता राजस्व रिकार्ड में कटानी दर्ज कर दिलवाये जाने का निवेदन किया।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251क के नियम 1(ख) में स्पट है कि "कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतो तक पहूंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारीत या चौड़ा करना चाहता है" – और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि –

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

1. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है और
2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहूंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया है–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सींमाकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रेक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भाग को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नय मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों, तहसीलदार की मौका रिपोर्ट एवं विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में आवेदक द्वारा अपनी खातेदारी काश्तकारी भूमि में आने जाने हेतु बंजड़ राजकीय भूमि से रास्ता चाहा गया है। तहसीलदार मलसीसर ने चाहा गया रास्ता लघुतम होने एवं अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने से रास्ता दिया जाना उचित बताया है। आवेदक की भूमि में जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। इसकी पुष्टि तहसीलदार मलसीसर की जांच रिपोर्ट से होती है। अतः तमाम साक्ष्य सबूतों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत स्वीकार किया जाता है। आवेदक को खेत खसरा नम्बर 836 में आने–जाने के लिये बंजड़ राजकीय भूमि ख0न0 788 में 20 फीट चौड़ा रास्ता रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश दिया जाता है तहसीलदार मलसीसर को निर्देशित किया जाता है कि रास्ते में आने वाली भूमि की डी.एल.सी. की दोगुना दर से राशि आवेदक से वसूल कर राजकोष में जमा करावें। तदनुसार राशि जमा होने पर राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता कायम किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
मलसीसर

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर